रेल कार्मिक पॉकेट बुक

कार्मिक विभाग
रतलाम मंडल

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
स्वच्छ भारत
स्वस्थ भारत
Make in India

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल

प्रेरक

श्री आर.एन. सुनकर

मंडल रेल प्रबंधक

रतलाम मंडल

संपादक

श्री दीपक परमार

सहायक कार्मिक अधिकारी - I

रतलाम मंडल

मंडल रेल प्रबंधक
रतलाम

आर.एन. सुनकर

संदेश

मंडल के कार्मिक विभाग द्वारा रेलवे के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा संबंधी नियमों की जानकारी प्रदान करने हेतु ''रेल कार्मिक पॉकेट बुक'' का प्रकाशन किया जाना एक प्रशंसनीय कार्य है।

प्रायः यह देखा जाता है कि छोटे स्टेशनों तथा दूरदराज के क्षेत्र में कार्यरत सभी रेल कर्मचारियों को उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं से संबंधित नियमों की जानकारी नहीं होती जिससे रेलवे द्वारा कर्मचारियों के लिये दी जाने वाली सुविधाओं से वह वंचित रह जाते हैं।

'रेल कार्मिक पॉकेट बुक' कर्मचारी के हित संबंधी नियम व प्रावधानों का सूक्ष्म तथा समग्र संग्रहण है जो रेल कर्मचारियों के हितों के लिये अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

कार्मिक विभाग को इस उल्लेखनीय कार्य के लिये शुभकामनाऐं।

मंडल रेल प्रबंधक
रतलाम

अपर मंडल रेल प्रबंधक
रतलाम

के.के.सिन्हा

संदेश

किसी भी संगठन के लिये उसका मानव संसाधन ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। कार्मिक विभाग द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य कर्मचारियों के हितो के लिये महत्वपूर्ण होता है। मुझे प्रसन्नता है कि मंडल की कार्मिक विभाग द्वारा एक नयी पहल करते हुए सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जानकारी के लिये 'रेल कार्मिक पॉकेट बुक' का प्रकाशन किया जा रहा है।

निश्चित रूप से इस पॉकेट बुक के माध्यम से रेल कर्मचारियों को उनकी सेवा से संबंधी आवश्यक नियमों की जानकारी प्राप्त होगी जो कि उनके लिये लाभकारी सिद्ध होगी।

मैं कार्मिक शाखा को उनके इस सराहनीय कार्य के लिये शुभकामनाएं देता हूँ।

अपर मंडल रेल प्रबंधक
रतलाम

वरिष्ठ मंडल कार्मिक
अधिकारी, रतलाम

पी.के. गोपीकुमार

संदेश

भारतीय रेल के प्रत्येक कर्मचारी की रेलवे के उत्थान मे अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। रेलवे का प्रत्येक कर्मचारी अपनी लगन और मेहनत से रेलवे की सेवा कर रहा है। परंतु ऐसा देखा गया है कि कर्मचारियो को उनकी सेवा से संबंधित नियमो जैसे पास नियम, अवकाश नियम, वेतन निर्धारण, सेवा निवृत्त होने पर लाभ आदि का ज्ञान नही होता है जिस कारण कर्मचारी स्वयं को ठगा सा महसूस करता है।

इसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से हमने माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय के मार्गदर्शन में नियमों की जानकारी इस रेल कार्मिक पॉकेट बुक के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास रेलकर्मियों के लिये हितकर साबित होगा।

शुभकामनाओं सहित

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
रतलाम

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल

अनुक्रमणिका

1	वेतन वृद्धि	6-10
2	भत्ता नियम	11-31
3	अवकाश नियम	32-38
4	पास नियम	39-44
5	रेलवे आवास	45-48
6	कर्मचारी हित निधि	49-55
7	कैशलेस उपचार योजना	56-57
8	अनुकंपा नियुक्ति	57-58
9	सेवानिवृत्ति लाभ	59-63

यह पुस्तिका फरवरी 2019 में महाप्रबंधक के वार्षिक निरीक्षण के दौरान प्रकाशित की गई।

1. वेतननिर्धारण :

❋ कर्मचारी के पदोन्नति पर पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगा।

1	सुधारित वेतन के अनुसार लेवल : लेवल -4	पे बेन्ड	5200-20200				
2	लेवल 4 में मूल वेतन : रू. 29600	ग्रेड पे	1800	1900	2000	2400	2800
3	लेवल - 5 में पदोन्नति	लेवल	1	2	3	4	5
4	लेवल - 5 में वेतन निर्धारित रू. 31000 (लेवल-4 में रू. 29600 से अगला उच्च वेतन रू. 30500 है जिसे लेवल 5 मे देखेंगे रू. 30500 या यह नहीं है तो अगला उच्च वेतन जोकि रू. 31000 है।)	1	18000	19900	21700	25500	29200
		2	18500	20500	22400	26300	30100
		3	19100	21100	23100	27100	**31000**
		4	19700	21700	23800	27900	31900
		5	20300	22400	24500	28700	32900
		6	20900	23100	25200	**29600**	33900
5	पदोन्नति पर वेतन निर्धारण अगली वेतन वृद्धि तक रू. 31000	7	21500	23800	26000	30500	34900
		9	22100	24500	26800	31400	35900
		8	22800	25200	27600	32300	37000
		10	23500	26000	28400	33300	38100

❋ कर्मचारी की पदोन्नति पर कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प के अनुसार वेतन वृद्धि की दिनांक (1 जनवरी या 1 जुलाई) से वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगा :

1	सुधारित वेतन के अनुसार लेवलः लेवल-4	पे बेन्ड	5200-20200				
2	लेवल 4 में मूल वेतन : रू. 29600	ग्रेड पे	1800	1900	2000	2400	2800
3	लेवल - 5 में पदोन्नति	लेवल	1	2	3	4	5
		1	18000	19900	21700	25500	29200
4	पदोन्नति पर वेतन निर्धारित अगली वेतन वृद्धि तक रू. 31000	2	18500	20500	22400	26300	30100
		3	19100	21100	23100	27100	31000
		4	19700	21700	23800	27900	**31900**
5	वेतन वृद्धि की तिथि से पुनः वेतन निर्धारित लेवल-4 मे दो वेतन वृद्धि देने के बाद रू. 31400	5	20300	22400	24500	28700	32900
		6	20900	23100	25200	**29600**	33900
		7	21500	23800	26000	30500	34900
		9	22100	24500	26800	31400	35900
5	लेवल-5 मे वेतन निर्धारण रू. 31900 (लेवल-5 में रू. 31400 के बराबर या उससे अगला उच्च वेतन)	8	22800	25200	27600	32300	37000
		10	23500	26000	28400	33300	38100

✻ यदि कर्मचारी की वेतन वृद्धि की दिनांक 1 जुलाई है

1. कर्मचारी की पदोन्नति दिनांक 2 जनवरी से 30 जून के बीच होती है तो कर्मचारी को अपनी नियमित वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई से वेतन निर्धारण का विकल्प देने से लाभ होगा।
2. कर्मचारी की पदोन्नति दिनांक 2 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच होती है तो कर्मचारी को पदोन्नति की दिनांक से ही वेतन निर्धारण करने से लाभ मिलेगा।

✻ इसी प्रकार यदि कर्मचारी की नियमित वेतनवृद्धि की दिनांक 1 जनवरी है तो :

1. कर्मचारी की पदोन्नति दिनांक 2 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच होती है तो कर्मचारी को अपनी नियमित वेतनवृद्धि की दिनांक 1 जनवरी से वेतन निर्धारण का विकल्प देने से लाभ होगा।
2. कर्मचारी की पदोन्नति दिनांक 2 जनवरी से 30 जून के बीच होती है तो कर्मचारी को पदोन्नति की दिनांक से ही वेतन निर्धारण करने से लाभ मिलेगा।

✻ यदि कर्मचारी की पदोन्नति पर वेतन निर्धारण 1 जनवरी या 1 जुलाई को होता है तो उसको वेतनवृद्धि 6 माह के बाद 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलेगी। अगली वेतनवृद्धि 1 वर्ष पश्चात देय होगी।

✻ पदोन्नत पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प कार्य ग्रहण करने की दिनांक से 1 माह के भीतर देना आवश्यक है।

✻ उपरोक्त को निम्नानुसार टेबल द्वारा भी समझा जा सकता है

पदोन्नति दिनांक	**वेतनवृद्धि दिनांक 01 जनवरी है तो**	**वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई है तो**
02 जनवरी से 30 जून से मध्स	बिना विकल्प (नो आप्शन) के लाभ	विकल्प (आप्शन) देने पर लाभ
02 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य	विकल्प (आप्शन) देने पर लाभ	बिना विकल्प (नो आप्शन) के लाभ

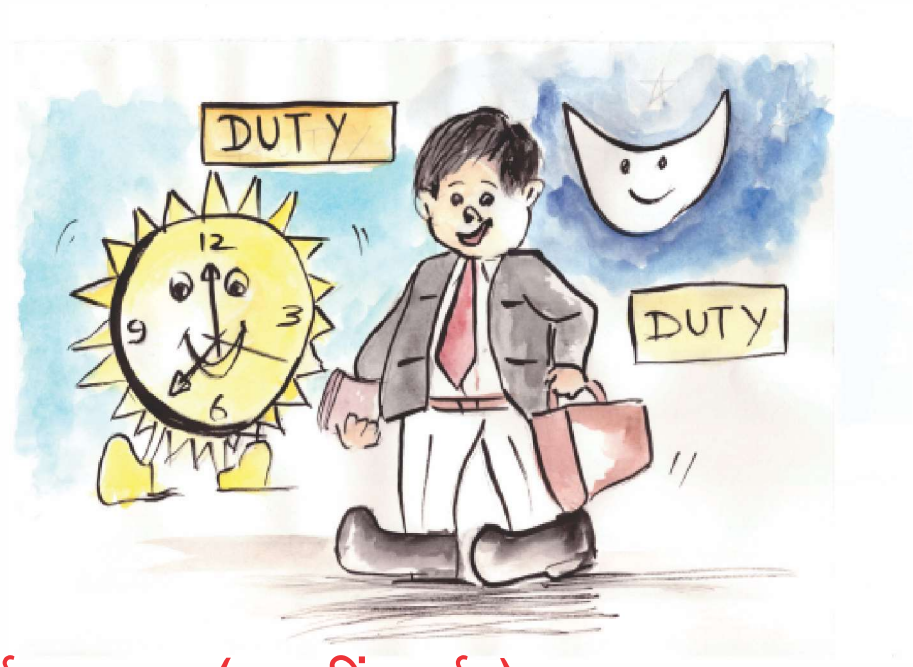

कार्य ग्रहण समय (ज्वाइनिंग टाईम) :

- प्रशासन के हित में हुए स्थानांतरण पर उसी स्टेशन अथवा नए स्टेशन पर कार्यग्रहण करने के लिये मिलता है।
- 180 दिनों से कम के लिये किये गये अस्थायी स्थानांतरण पर कार्यग्रहण समय नही मिलता है।
- उसी स्टेशन पर स्थानांतरण होने पर जब आवास में कोई बदलाव नही आता है तो कार्यग्रहण समय केवल एक दिन का ही मिलेगा।
- अगर स्थानांतरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर होता है साथ ही आवास में भी परिवर्तन होता है तो रेल कर्मचारी को निम्नानुसार पुराने मुख्यालय से नये मुख्यालय की दूरी के अनुसार देय होगा।

क्र. सं.	वेतनवृद्धि दिनांक 01 जनवरी है तो	कार्यग्रहण समय
1	1000 कि.मी. या इससे कम होने पर	10 दिन
2	1000 कि.मी. से अधिक परंतु 2000 कि.मी. से कम होने पर	12 दिन
3	2000 कि.मी. या इससे अधिक होने पर	15 दिन एवं यदि हवाई यात्रा शामिल है तो 12 दिन

यदि रेल कर्मचारी कार्य ग्रहण समय पूरा नहीं लेता है तो बचे हुए कार्यग्रहण समय को सवेतन अवकाश में बदला जा सकता है जो कि अधिकतम सवेतन अवकाश के 300 दिन से अधिक नही होना चाहिये

- कार्य ग्रहण समय को किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़कर लिया जा सकता है (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर)
- यदि स्थानांतरण आदेश संशोधित होता है तो रेल कर्मचारी दोबारा से नये कार्यग्रहण समय का हकदार होगा।

भत्ता नियम

1. मंहगाई भत्ता :

✻ सातवें वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से मंहगाई भत्ते की दरें निम्नानुसार है।

01/01/2016	-
01/07/2016	2 प्रतिशत
01/01/2017	4 प्रतिशत
01/07/2017	5 प्रतिशत
01/01/2018	7 प्रतिशत
01/07/2018	9 प्रतिशत

2. यात्राभत्ता :

✻ रेल कर्मचारी को अपने मुख्यालय से 8 कि.मी. से अधिक दूरी की यात्रा या वापसी हेतु निर्धारित दर के अनुसार यात्रा भत्ता देय है।

✻ सातवें वेतन आयोग के अनुसार दर (Daily Allowance Rate):

क्र.	पे मेट्रिक्स लेवल	पात्रता
1.	लेवल 14 तथा ऊपर	रूपए 1200/-
2.	लेवल 12 तथा 13	रूपए 1000/-
3.	लेवल 9 से 11	रूपए 900/-
4.	लेवल 6 से 8	रूपए 800/-
5.	लेवल 5 तथा नीचे	रूपए 500/-

❇ यात्रा भत्ता मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के प्रत्येक दिन हेतु देय होगा जिसकी गणना मध्यरात्रि के आधार पर निम्नानुसार होगी :

क्र.	मुख्यालय से अनुपस्थित	प्रतिशत
1.	लगातार 6 घंटे या उससे कम	30 प्रतिशत
2.	लगातार 6 घंटे से अधिक तथा 12 घंटे से कम	70 प्रतिशत
3.	लगातार 12 घंटे या उससे अधिक	100 प्रतिशत

3. परिवहन भत्ता :

✻ सातवें वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से परिवहन भत्ते की दरें निम्नानुसार है -

क्र.	पे मेट्रिक्स लेवल	उच्च टीपीटीए शहर	अन्य जगह
1.	लेवल 9 तथा उससे अधिक	7200+मंहगाई भत्ता	3600+मंहगाई भत्ता
2.	लेवल 3 से 8	3600+ मंहगाई भत्ता	1800+मंहगाई भत्ता
3.	लेवल 1 एवं लेवल 2	1350+मंहगाई भत्ता	900+मंहगाई भत्ता
4.	लेवल 1 एवं लेवल 1 मे वेतन रुपये 24200 या उससे अधिक	3600+मंहगाई भत्ता	1800+मंहगाई भत्ता

✻ दिव्यांग कर्मचारियों को दोगुने दर से मंहगाई भत्ते के साथ परिवहन भत्ता मिलेगा।

4. मकान किराया भत्ता :

✻ मकान किराया भत्ते के रेट X श्रेणी के शहरों में रूपए 5400, Y श्रेणी के शहरों में रूपये 3600 तथा Z श्रेणी के शहरों/गांवों में रूपए 1800 से कम नहीं होंगे।

✻ रतलाम मंडल पर केवल इन्दौर Y श्रेणी में आता है और बाकी सभी स्टेशन Z श्रेणी में आते है।

क्र.	शहरों/गाँवों का वर्गीकरण (श्रेणी)	मूल वेतन पर आधारित रेट
01	X	24 प्रतिशत
02	Y	16 प्रतिशत
03	Z	8 प्रतिशत

5. संयुक्त स्थानांतरण अनुदान (सीटीजी) :

- कर्मचारी का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर प्रशासन के हित में स्थानांतरण होने पर मूलवेतन के आधार पर देय है।
- जहाँ स्थानांतरण 20 किमी अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर हुआ है तो कर्मचारी को सीटीजी का भुगतान पिछले माह के मूलवेतन का 80 प्रतिशत की दर से किया जाएगा।
- सभी श्रेणी के कर्मचारी, जिनका स्थानांतरण 20 किमी की परिधि में किया गया तथा आवास परिवर्तन किया गया है उन्हें 1/3 राशि देय होती है।
- सेवानिवृत कर्मचारी यदि सेवानिवृत्ती के पश्चात 20 किमी अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर बसता है तो सीटीजी का भुगतान अंतिम मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से मिलेगा।
- सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो उसी स्टेशन या 20 किमी के दायरे में बसता है तथा निवास वास्तविक रूप से बदला है तो उसे मूल वेतन के 80% राशि का भुगतान देय होता है।

* सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एवं मृत्यु के मामले में रेलकर्मचारी के परिवार को देय राशि एक समान होगी।
* पदोन्नति पर स्थानांतरण के मामले में पदोन्नति पूर्व वेतन के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
* निम्न स्थिति में सीटीजी देय नहीं है।

(1) स्वेच्छा स्थानांतरण या पारस्परिक स्थानांतरण होने पर।
(2) 180 से कम दिनों के लिए अस्थाई स्थानांतरण होने पर।
(3) सेवा निवृत्ति की स्थिति में जब तक कर्मचारी रेल आवास रिक्त नहीं करता तब तक।

5. समयोपरिभत्ता :

1 जब रेल सेवक HOER के अनुसार तय रोस्टर घण्टों से अधिक अतिरिक्त कार्य करता है या HOER के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के रेल सेवकों हेतु निर्धारित या अन्य किसी नियम में निर्धारित सीमा से अधिक कार्य करता है तो उसे अतिरिक्त कार्य घण्टों हेतु समयोपरि भत्तें का भुगतान किया जाएगा।

पर्यवेक्षक / प्रबंधकीय तथा गोपनीय स्टाफ को यह भत्ता देय नहीं है समयोपरि भत्तें की दरें निम्नानुसार है -

A रोस्टर घण्टों से अधिक लेकिन वैधानिक सीमा तक : सामान्य दर का 1.1/2

B वैधानिक सीमा से अधिक : सामान्य दर का दो गुना

रनिंग स्टाफ को देय भत्ते

रनिंग स्टाफ का 30% मूल वेतन रनिंग भत्तों में वेतनतत्व के रूप में प्रतिनिधित्व वेतन माना जाएगा।

7. शिक्षा भत्ता

- सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले दो बच्चों के लिये या दूसरे प्रसव में एक से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई या परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरे बच्चे हेतु।
- कक्षा नर्सरी (कक्षा पहली से पूर्व दो कक्षा) से कक्षा 12 वीं तक अथवा 10 वीं कक्षा पास करने के बाद आईटीआई/डिप्लोमा कोर्स पॉलीटेकनीक (2 वर्षों के लिए)
- रूपए 2250/- प्रति माह या रूपये 27,000/- प्रतिवर्ष।
- वर्ष में एक बार आर्थिक वर्ष समाप्त होने पर।
- विकलांग बच्चों के लिए दो गुना।
- आवेदन के साथ बच्चे का मान्यता शिक्षा संस्थान में पढ़ने का बोनाफाईड प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. होस्टल सब्सिडी :-

- सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले दो बच्चों के लिए या दूसरे प्रसव में एक से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई हो या परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरे बच्चे हेतु।

- कक्षा नर्सरी (कक्षा पहली से पूर्व दो कक्षा) से कक्षा 12वीं तक अथवा 10 वीं कक्षा पास करने के बाद आईटीआई / डिप्लोमा कोर्स पॉलीटेकनीक (2 वर्षों के लिए)।
- रूपए 6750/- प्रतिमाह अथवा लॉजिंग एवं बोर्डिंग हेतु खर्च की गई राशि, इनमें से जो कम हो।
- वर्ष में एक बार आर्थिक वर्ष समाप्त होने पर।
- कर्मचारी के आवास से 50 किमी या अधिक की दूरी पर आवासीय स्कूल/कॉलेज स्थित होना चाहिए।
- विकलांग बच्चों के लिए दो गुना।
- आवेदन के साथ बच्चे का मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में पढ़ने का बोनाफाईड प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

नोट : यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है तो दोनों में से किसी एक को ही शिक्षाभत्ता और होस्टल सब्सिडी का लाभ मिलेगा। शिक्षा भत्ता या होस्टल सब्सिडी के भत्ते का लाभ एक ही बच्चे के लिए एक साथ नहीं मिलेगा।

. नाईट ड्यूटी भत्ता :

- सभी ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारी जो गहन (I), निरंतर (E) तथा आवश्यक (EI) रूप से विरामी कोटियों में वर्गीकृत हैं, उन्हें रात्रि 22:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक की ड्यूटी करने के लिए देय होता है।

  Rate = Pay+DA ÷ 200

✻ प्रत्येक एक घंटे के लिए 10 मिनट के हिसाब से दिया जाता है।

4. राष्ट्रीय अवकाश भत्ता :

✻ राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी हेतु किए अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी का रेस्ट होने पर भी यह भत्ता मिलता है।

✻ यह भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है, जो राष्ट्रीय अवकाशों का लाभ नहीं लेते तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम करते हैं।

✻ ओपन लाईन स्टाफ को भी देय है।

✻ शिफ्ट ड्यूटी करने वालों को राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी करने पर निर्धारित दरों से पूरा राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाता है।

✻ निम्नलिखित दरों से देय होगा।

लेवल 1 एवं 2	रूपए 384/-
लेवल 3 एवं 5	रूपए 477/-
लेवल 6 एवं 8	रूपए 630/-

10. वर्दीभत्ता :

- उन सभी कर्मचारियों को जैसे ट्रैकमेन, रनिंग कर्मचारी, कार ड्राईवर केन्टीन स्टॉफ इत्यादि, जिन्हें नियमित वर्दी पहननी पड़ती है।
- रूपए 5000/- प्रति वर्ष के हिसाब से देय है।
- कर्मचारियों के वेतन में वर्ष में एक बार माह जुलाई में देय होगा।
- पहले मिलने वाले धुलाई भत्ता, जूता भत्ता तथा किट मेन्टनेंस अलॉउन्स को रद्द कर वर्दी भत्ता किया गया है।
- जिन कर्मचारियो को पहले वर्दी मिलती थी, वह अब नहीं मिलेगी।
- अन्य सुरक्षात्मक सामान जैसे सुरक्षा जूते, सुरक्षा हेलमेट, टोपीवाला रेनकोट इत्यादि अलग से मिलेंगे। यह वर्दी भत्ते के अंतर्गत नहीं आता।

11. जोखिम और कठिनाई भत्ता :

* ट्रैकमेन्टेनर, कीमेन, मेट कर्मचारियों को प्रतिमाह रू. 2700/- देय है।

12. ब्रेक डाउन भत्ता :

* ब्रेक डाउन ड्यूटी हेतु बुक हुए कर्मचारियों को देय है।
* ऐसे कर्मचारियों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति की जाती है जहां कार्य स्थल पर भोजन की आपूर्ति संभव न हो उन्हें नगद भुगतान किया जाता है।
* ड्यूटी स्थल से दुर्घटना स्थल तथा ड्यूटी स्थान पर वापसी यात्रा का पूरा समय समयोपरि (ओटी) भत्ते के भुगतान के लिए ड्यूटी माना जाएगा।
* ऐसे कर्मचारी को 100 प्रतिशत की दर से यात्रा भत्ता प्राप्त होगा, जिस का इस तथ्य से कोई संबंध नहीं होगा की स्टाफ मुख्यालय से 8 कि.मी. से अधिक दूर गया था या नहीं, 12 घण्टे से अधिक कार्य किया या नहीं।

❇ ब्रेक डाउन भत्ते के लिए विभिन्न विभागों जैसे लोको कैरेज वैगन, परिचालन, सिविल इंजीनियरिंग, सिंगनल एवं दूरसंचार, बिजली इत्यादि से स्टाफ को चिन्हींत किया जाता है जो कि ब्रेक डाउन गाडियाँ जैसे ART & MRT के रख रखाव करते है उन्हें उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित निर्धारित दरों से ब्रेक डाउन भत्ता दिया जाता है।

क्र.	कोटि	पे मेट्रिक्स लेवल	राशि प्रति माह
01	हेल्पर ग्रेड II / हेल्पर ग्रेड I / अन्य ग्रुप डी स्टॉफ	लेवल 1 1800	270/-
02	तकनीशियन ग्रेड III	लेवल 2 1900	405/-
03	तकनीशियन ग्रेड II तकनीशियन ग्रेड I पर्यवेक्षक (पूर्ववर्ती मिस्त्री)	लेवल 4 2400 लेवल 5 2800 लेवल 5 2800	540/-
04	वरि. तकनीशियन / कनिष्ठ इंजीनियर एवं उच्चतर वेतनमानों के कर्मचारी	लेवल 6 4200	675/-

13. गेट अलाउंस :

* स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट (इंजीनियरिंग) पर कार्यरत ट्रेक मेन्टेनर को प्रतिमाह रू. 1000/- पे मैटीक्स लेवल 8 तक एवं लेवल 9 के कर्मचारियों को 1200/- प्रतिमाह देय है।

14. ड्रायसेल भत्ता :

* सभी ट्रैकमेनों को जिन्हे रात्रिगश्त (पेट्रोलिंग) की ड्यूटी करनी पड़ती है उन्हे रूपए 150/- प्रतिमाह की दर से नियमित वेतन से सेल खरीदने के लिए यह भत्ता दिया जाता है।
* जिन्हे रिचार्जेबल टॉर्च उपलब्ध है उन्हें यह भत्ता नहीं मिलता।

15. अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता :

* ग्रुप सी और डी (गैर लिपिकीय) रेल अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाईयों / क्लिनिकों में कार्यरत रेल कर्मचारियों को अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता निम्नानुसार मिलता है।

क्र.	पे मैट्रिक्स लेवल	राशि
01	लेवल 8 या उससे कम	रूपये 4100/- प्रतिमाह
02	लेवल 9 एवं उससे ऊपर	रूपये 5300/- प्रतिमाह

16. लिव इनकेशमेन्ट :

* लिव इनकेशमेन्ट दो वर्ष में 1 बार, पुरे सेवाकाल में 06 बार ले सकते है । अवकाश खाते में 60 दिन LAP होना अनिवार्य है।

17. PLB उत्पादकता के आधार पर बोनस :–

वर्तमान में बोनस -

7000 x 12 = 84000 ÷ 365 = 230.13

18. रेलवे चिकित्सा अधिकारी को वाहन भत्ता :

रेलवे चिकित्सा अधिकारी कार्य घंटों के अलावा आवासीय/घरेलु विजिट पर जाने और अन्य राजकीय कर्तव्यों के पालन के लिए निम्न लिखित दरों पर वाहन भत्ते के हकदार होंगे।

क्र.	वाहन का प्रकार	प्रतिमाह
01	उनके लिए जिनके पास स्वयं की कार है	6831/-
02	उनके लिए जिनके पास स्कूटर/मोटर साईकिल है।	2365/-
03	उनके लिए जिनके पास न तो कार है न ही मोटर साईकिल/स्कूटर है।	60/-

19. नर्सिंग भत्ता :-

* रेलवे अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ जो इण्डियन नर्सिंग कौन्सिल एक्ट के अनुसार पंजीकृत है वे नीचे दिये गये भत्तों के हकदार है।

क्र.	भत्ता	प्रतिमाह
01	नर्सिंग भत्ता	7200/-
02	यूनिफार्म भत्ता	1800/-

20. नान प्रेक्टिसिंग भत्ता :-

* दन्त चिकित्सकों सहित रेलवे अस्पतालों में कार्यरत निजी प्रेक्टिस नहीं करने के बदले में नान प्रेक्टिसिंग भत्ता के हकदार होंगे। यह पे बैंड में वेतन और ग्रेड प का 20% इस शर्त के अधीन होगा कि मूल वेतन + NPA मिलाकर रू. 237500/- से अधिक नहीं होगा । मंहगाई भत्ते, परिवहन भत्ते, दैनिक भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभों सहित अन्य भत्तों की गणना करते समय NPA को वेतन के रूप में माना जाएगा।

21. रनिंग स्टाफ को निम्न लिखित भत्ते देय होंगे :–

किलोमीटर भत्ता।

A यह भत्ता रनिंग स्टाफ को निर्धारित दरों पर रनिंग ड्यूटी के निष्पादन हेतु दिया जाता है

B रनिंग स्टाफ के काय घंटों की गणना Signing on से Signing off तक की जाती है । रनिंग स्टाफ HOER के 'लगातार' वर्गीकरण के अंतर्गत आता है।

रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में भत्ता।

A बाह्य स्टेशनों पर, जहां रनिंग स्टाफ हेतु रनिंग रूम सुविधायें उपलब्ध नहीं है, रनिंग रूम सुविधाओं की एवज में भत्ता देय है।

B यह भत्ता रोड साईड (Road Side) स्टेशनों हेतु देय है, जिसका इससे संबंध नहीं है कि गाडी का वहा आवसान (terminate) होता है या नहीं।

C यह भत्ता उस रनिंग स्टाफ को भी देय नहीं होगा जिन्हे बाह्य स्टेशनों पर स्टेशन री ड्युटी हेतु भेजा जाता है।

छूट्टी एवं आराम में अवरोध भत्ता (Breach of resh Allowance)

A विश्राम भंग भत्ता उस रनिंग स्टाफ को दिया जाएगा जिन्हे निम्न परिस्थितियों में रनिंग ड्यूटी हेतु नियुक्त किया जाता है।

B जब रनिंग स्टाफ एक गाड़ी को बाह्य स्टेशन लेकर जाता है और मुख्यालय लौटता है, को रनिंग ड्यूटी हेतु नियुक्त किया जाता है।

(a) मुख्यालय पर 12 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जबकि आराम से तुरन्त पूर्व ड्यूटी की अवधि 8 घंटे या अधिक हो और

(b) मुख्यालय पर 12 घंटे का आराम पूर्ण होने से पूर्व जबकि आराम से तुरंत पूर्व ड्यूटी की अवधि 8 घंटे से कम हो।

बाहय स्टेशन पर रोकने (Detention) का भत्ता।

Signing off के पश्चात बाह्य स्टेशन पर रनिंग स्टाफ को 16 घंटे से अधिक रोका जाता है तो वे इस भत्ते के हकदार होंगे। यह भत्ता Signing off के समय से 16 घंटे बीत जाने के पश्चात प्रत्येक घंटे के लिए 70 किलोमीटर की दर से दिया जाएगा।

बाह्य स्टेशन (मुक्ति) भत्ता।

इस भत्ते का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा।

A जब रनिंग स्टाफ को उच्चतर पदों पर कार्य करने हेतु बाह्य स्टेशनों पर भेजा जाता है तो भत्ता केवल 14 दिनों की अवधि हेतु दिया जाएगा।

B जब रनिंग स्टाफ को समान पद पर कार्य हेतु बाह्य स्टेशन

पर भेजा जाता है तो भत्ता अधिकतम दो माह की अवधि हेतु दिया जाएगा।

C कार्यमुक्ति (relieving) स्टेशन तक और वापसी यात्रा को ड्यूटी माना जाएगा, चाहे स्पेयर हो या रनिंग तथा इसके अनुसार भत्ता दिया जाएगा।

दुर्घटना भत्ता

वह रनिंग स्टाफ जिस किसी भी स्टेशन पर मुख्यालय से बाहर दुर्घटना के कारण 8 घंटे से अधिक रोका जाता है उन्हें दुर्घटना भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बाह्य स्टेशन (ठहराव) भत्ते के नियमों में निर्धारित दर के अनुसार इसकी गणना ठहराव का समय आरम्भ होने से प्रत्येक 24 घंटे या इसके अंश के आधार पर की जाएगी। यदि ठहराव की अवधि 8 घंटे से कम होती है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, परन्तु वे घंटे जिनके लिए स्टाफ को रोका गया है, उन्हें कार्य घंटों के रूप में गिना जाएगा।

स्थापनापन्न भत्ता।

- जब रनिंग स्टाफ को 30 या इससे कम दिनों के लिए रनिंग पदों पर स्थानापन्न रूप के कार्य हेतु तैनात किया जाता है तो वे निम्न ग्रेड में तथा अनुज्ञेय वेतन और 15% की वृद्धि सहित उस उच्चतर ग्रेड में रनिंग भत्ते के हकदार होंगे।
- जब रनिंग स्टाफ को 30 से अधिक दिनों हेतु स्थानापन्न कार्य पर लगाया जाता है तो उच्चतर पद पर उनका वेतन सामान्य नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।

न्यूनतम गारंटीड किलोमीटर भत्ता।

प्रत्येक रेलवे ऐसे सेक्शन और परिस्थितियों को चिह्नित करेगा जो रनिंग स्टाफ द्वारा निर्धारित कार्य घंटों के दौरान पर्याप्त किलोमीटर अर्जित करने में सक्षम न हो। इस चिह्नित सेक्शन और परिस्थितियों हेतु रनिंग स्टाफ का निर्धारित कार्य घंटों हेतु 120 कि.मी. की दर से भुगतान किया जाएगा।

प्रतिक्षा ड्यूटी भत्ता।

रनिंग स्टाफ के 10 घंटे तक प्रतीक्षा ड्यूटी पर रहने पर 5 कि.मी. प्रति घंटे की दर से निम्न मामलों में भुगतान किया जाएगा।

- प्रतीक्षा / स्टैण्ड बाय ड्यूटी रोस्टर अनुसार
- स्टेशन ड्यूटी जिसमें गाड़ी रद्द होने पर ठहराव या ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने के पश्चात स्टाफ की बुकिंग रद्द होना शामिल है।

घाट सेक्शन भत्ता :–

रतलाम मंडल में कालाकुंड-पातालपानी घाट सेक्शन है।

- जब रनिंग स्टाफ गाड़ी को ऐसे सभी घाट सेक्शनों में चला रहे हो जहां बैंकर वास्तविक रूप से गाड़ी की मदद करता हो तो किलोमीटर की गणना वास्तविक दूरी से 5 गुना (अधिक) की जाएगी।
- अन्य सभी मामलों में (इसमें वह भी शामिल है जब बैंकिंग इंजिन को एक लाइट इंजिन के रूप में चलाया जाता है या सहायता की आवश्यकता नहीं होती है) क्लास -। घाट सेक्शन के मामले में भत्ते की गणना वास्तविक दूरी से 5 गुणा (अधिक) की जाएगी तथा क्लास-2 घाट सेक्शन के मामले में वास्तविक दूरी से 3 गुणा (अधिक) की जाएगी।

छुट्टी माइलेज भत्ता।

जब रनिंग स्टाफ छुट्टी पर रहता है तो उसे अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए छुट्टी माइलेज भत्ता दिया जाएगा। छुट्टी माईलेज अलाउन्स की गणना निम्नानुसार की जाएगी।

$$\text{छुट्टी माईलेज अलाउन्स} = \frac{\text{मुल वेतन का 30\%}}{\text{महिने के दिनों की संख्या}} \times \text{ली गई छुट्टी}$$

छुट्टियां (अवकाश नियम)

1. औसत वेतन छुट्टी :-

- ✻ एक वर्ष में 30 दिन।
- ✻ सभी स्थायी/अस्थायी रेल कर्मचारियों के लिये।
- ✻ वर्ष में दो बार, 01 जनवरी और 01 जुलाई को छुट्टी खाते में 15-15 दिन अग्रिम जमा किए जाते है।
- ✻ यह छुट्टी खाते में अधिकतम 300 दिनों तक जमा हो सकती है।

* एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।

2. अर्धवेतन छुट्टी :

* एक वर्ष में 20 दिन।
* सभी स्थायी/अस्थायी रेल कर्मचारियों के लिए।
* वर्ष में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टी खाते में 10-10 दिन अग्रिम जमा किए जाते हैं।
* इसे जमा करने की कोई सीमा नहीं है।

3. कम्यूटेड छुट्टी :

* यह छुट्टी चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत होगी तथा अर्धवेतन छुट्टी में से दो गुने दर से कटौती होगी।

4. बिना वेतन छुट्टी :

* सभी स्थायी/अस्थायी रेल कर्मचारियों को देय है, जब उसके खाते में कोई छुट्टी बकाया न हो।
* पूरे सेवाकाल में 360 दिनों तक देय है।
* चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर एक समय में अधिकतम 90 दिनों तक स्वीकृत की जा सकती है।
* आगे मिलने वाले औसत वेतन के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है।
* आगे मिलने वाली अर्ध वेतन छुट्टी से डेबिट की जाएगी।

5. अध्ययन छुट्टी :

- पेशेवर तथा तकनीकी प्रशिक्षण एवं उच्च अध्ययन के लिए, जिस का सीधा संबंध रेल कार्य को बेहतर बनाना है, के लिए मिलती है।
- एक बार में 12 माह।
- पूरे सेवाकाल में अधिकतम 24 माह।

6. मातृत्व अवकाश :

- सभी स्थायी/अस्थायी महिला रेल कर्मचारियों को दो जीवित बच्चों के लिए देय है।
- एक बार में 180 दिनों तक मिलती है
- बच्चा गिरने/गर्भपात की स्थिति में पूरे सेवाकाल में 45 दिन
- यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है।
- महिला कर्मचारी छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी, उसके बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा।
- किसी छुट्टी खाते (LAP, HLAP, CL) से कटौती नहीं होगी।

7. पितृत्व अवकाश :–

- सभी पुरूष रेल कर्मचारियों के दो जीवित बच्चों के लिए पत्नि के प्रसव काल में 15 दिन के लिये स्वीकृत किया जा सकता है।
- प्रसव के 15 दिन पूर्व तथा प्रसव के बाद 180 दिनों तक

लिया जा सकता है, इस दौरान छुट्टी नहीं लेने पर इसे समाप्त माना जाता है।

- इसे किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।
- 15 दिनों की छुट्टी एक ही बार में स्वीकृत होती है।
- किसी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होगी।

8. विशेष अशक्तता अवकाश (Special disability leave)

- रेल कर्मचारी को कर्तव्य निर्वाहन करते समय किसी के द्वारा चोट पहुंचाने के कारण अशक्त होने पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर मिलती है।
- अधिकतम 24 माह के लिए स्वीकृत की जा सकती है।
- किसी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होगी।

9. आकस्मिक अवकाश :

- कैलेण्डर वर्ष में निम्नलिखित अनुसार :-

  A) कार्यालय कर्मचारी 08 दिन

  B) कार्यालयीन कर्मचारी के अलावा 10 दिन।

  C) दिव्यांग कर्मचारी अतिरिक्त 04 दिन।

- यह छुट्टी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है अर्थात ये कैलेण्डर में पिछले कैलण्डर वर्ष की बकाया आकस्मिक छुट्टी को सम्मिलित नहीं किया जाता है

* यह छुट्टी आधे दिन (दोपहर पूर्व/दोपहर पश्चात) के लिये भी स्वीकृत की जा सकती है।

10. शिशु देखभाल अवकाश (C.C.L.)

* महिला कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में पहले दो बच्चों की 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण हेतु।
* सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम दो वर्ष (कुल 730 दिन) तक स्वीकृत की जा सकती है।
* यह अवकाश टुकड़ों में भी लिया जा सकता है।
* एक बार में कम से कम 05 दिन की अवधि के लिये मिलेगा।
* एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 03 बार यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।
* इस की कटौती अवकाश खाते से नहीं होगी। इसके लिये अलग से खाता खोला जायेगा।
* इस अवकाश की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है।
* महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी, उस के बराबर छुट्टी वेतन दिया जायेगा।
* उचित समक्ष प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से सीसीएल अवधि में मुख्यालय छोड़ कर बाहर जा सकते है या विदेश यात्रा पर भी जा सकते है।

* उपरोक्तानुसार स्वीकृत की गई छुट्टी को सक्षम अधिकारी Cancel भी कर सकते हैं तथा महिला कर्मचारी को पुनः कार्य पर बुला सकते हैं।
* शिशु देखभाल अवकाश (C.C.L.) पुरूष रेल कर्मचारियों को भी देय है, ऐसे पुरूष रेल कर्मचारी जो Single Parent हैं, उन्हें अपने पहले दो बच्चों की देखभाल हेतु उपरोक्तानुसार शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

11. अस्पताल अवकाश :–

* ग्रुप सी एवं डी कर्मचारियों को अस्पताल अवकाश दिया जा सकता है।
* रेल कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किये गये जोखिमों के कारण हुई बीमारी या चोटों के उपचार के लिए होती है।
* यह प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत की जाती है।
* इस छुट्टी में पहले 120 दिन औसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन और शेष अवधि हेतु आधे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन देय होगा।
* महाप्रबंधक द्वारा सीमारहित अस्पताल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।
* इस की कटौती छुट्टी खातों में से नहीं की जाती है।

- यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है परन्तु कुल छुट्टी 28 माह से अधिक नहीं होनी चाहिये।

12. छुट्टी का नगदीकरण

- एक बार में 10 दिन की तथा पूरे सेवाकाल में 60 दिनों की छुट्टी का नगदीकरण किया जा सकता है।
- दो वर्ष में एक बार तथा पूरे सेवाकाल में छः बार।
- छुट्टी नगदीकरण के पश्चात छुट्टी खाते में 50 दिन की छुट्टी बकाया होना आवश्यक है।
- छुट्टी नगदीकरण आवेदन के साथ पास या पीटीओ की प्रति एवं कम से कम एक दिन की CL या LAP छुट्टी स्वीकृति की प्रति जोड़ना आवश्यक है।
- छुट्टी नगदीकरण (बेसिकपे+डीए) / 30x10 के अनुसार होगा।

पासनियम

1. **ड्यूटीपास :–** मुख्यालय से बाहर ड्यूटी के लिए जाने पर यात्रा करने के लिये।

2. **सुविधापास / पीटीओ. :–** कर्मचारी के अनुरोध पर मिलता है।

- ✻ यह पास उसके स्वयं परिवार एवं आश्रित सदस्य/दत्तक बच्चों के लिए जारी किया जाता है।
- ✻ नियुक्ति तिथि से पांचवे वर्ष तक एक द्वितीय श्रेणी 'ए' पास तथा पांच वर्ष के बाद दो द्वितीय श्रेणी एवं एक द्वितीय श्रेणी 'ए' पास ऐसे तीन पास अनुरोध पर दिए जाते हैं।
- ✻ राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष की सेवापूर्ण करने तक 06 सेट सुविधा पास एवं 04 सेट पीटीओ देय है।
- ✻ अराजपत्रित कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष की सेवापूर्ण करने तक 01 सेट पास एवं 04 सेट पीटीओ देय है । पाँच वर्ष की रेल सेवा पूर्ण करने के पश्चात अराजपत्रित कर्मचारी को 03 सेट सुविधापास तथा 04 सेट पीटीओ देय होंगे।

सेवा की अविध	05 वर्ष से कम	05 वर्ष एवं उससे अधिक
सुविधा पास	01	03
पी.टी.ओ.	04	04

- पास/पीटीओ जारी होने की तिथि से पांच माह तक वैध होंगे।
- वर्ष समाप्ति सुविधा पास एवं पीटीओ (Year Ending Pass/P.T.O) की अवधि 30 मई तक रहेगी।
- यदि पति-पत्नि दोनों रेल कर्मचारी हैं तो पास सुविधा दोनों को मिलेगी एवं दोनों के पास में वे स्वयं एवं साथ में बच्चा भी शामिल होगा।
- यदि कोई कर्मचारी किसी कैलेण्डर वर्ष में अपने सभी सुविधा पास /पीटीओ सेट प्राप्त कर लेता है तो उसे नया कैलेण्डर वर्ष शुरु होने के 01 माह पहले से, आरक्षण करवाने हेतु 01 सेट Advance पास/पीटीओ जारी किया जा सकता है, जिसकी अवधि नये वर्ष के प्रारम्भ होने की दिनांक अर्थात् 01 जनवरी से प्रारम्भ होगी तथा सुविधा पास जारी किये जाने की दिनांक से पांच महिने की अवधि तक रहेगी।
- सेवा निवृत्त कर्मचारी भी उपरोक्तानुसार 01 सेट Advance मानार्थ पास प्राप्त कर सकते है।
- अन्य जानकारी निम्न प्रकार है -

क्र.	श्रेणी	सुविधा पास पीटीओ के प्रकार	सुविधा पास एवं पीटीओ की संख्या	ड्यूटी पास के प्रकार
1	ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'बी' राजपत्रित	प्रथम श्रेणी ए	06 सेट पास, 04 सेट पीटीओ	प्रथम श्रेणी ए
2	अराजपत्रित कर्मचारी			
अ	4200 GP/L-6 और इससे अधिक	प्रथम श्रेणी	03 सेट पास, 04 सेट पीटीओ	प्रथम श्रेणी
ब	2800 GP/L-4	द्वितीय श्रेणी 'ए'	03 सेट पास, 04 सेट पीटीओ	द्वितीय श्रेणी 'ए'
स	1900 GP/L-2 और उससे अधिक किन्तु 2800 GP/L-5 से कम	द्वितीय श्रेणी	01 सेट द्वितीय श्रेणी 'ए' बाकी 02 सेट द्वितीय श्रेणी/ 04 सेट पीटीओ द्वितीय श्रेणी	द्वितीय श्रेणी 'ए'
द	1800 GP/L-1	द्वितीय श्रेणी	01 सेट द्वितीय श्रेणी 'ए' बाकी 02 सेट द्वितीय श्रेणी/ 04 सेट पीटीओ द्वितीय श्रेणी	द्वितीय श्रेणी

3. स्कूल पास

* कर्मचारी के मुख्यालय से बाहर पढ़ रहे बच्चों लिए उनके तीन दिन या ज्यादा के अवकाश होने पर स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल अथवा घर आने जाने के लिए यह पास जारी किया जाता है।

- किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज का बोनाफाईड विद्यार्थी होना चाहिये।
- किसी रेल कर्मचारी को एक कैलेण्डर वर्ष में 03 सेट स्कूल पास देय हैं।
- यदि पति-पत्नि दोनों रेल कर्मचारी है, तो स्कूल पास की पात्रता दोनों में केवल एक कर्मचारी के खाते में (पति या पत्नि) ही होगी।

4. मानार्थ पास :

- कर्मचारी के रेल सेवा से सेवा निवृत्ति के पश्चात कर्मचारी के अनुरोध पर जारी किया जाता है।
- जिनकी रेल सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है तो ऐसे सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी को प्रतिवर्ष 02 सेट मानार्थ पास की पात्रता है।
- 20 वर्ष से कम सेवा होने पर सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी को मानार्थ पास की पात्रता नहीं है।
- कर्मचारी सेवारत होने के समय जिस श्रेणी का सुविधा पास प्राप्त कर रहा था, उसी श्रेणी के मानार्थ पास की पात्रता होगी।

5. विधवा / विधुर पास :-

- रेल कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा/विधुर को उस के पति/पत्नि के सुविधा पास श्रेणी की पात्रता के अनुसार उनके अनुरोध पर प्रतिवर्ष 01 सेट पास देय होगा

6. आवासीय कार्ड पास :–

* रेल कर्मचारी को उसके आवास स्थान से ड्यूटी के स्थान (कार्य स्थल स्टेशन) तक आने जाने हेतु रेल यात्रा करने के लिये यह कार्ड पास जारी किया जाता है।

7. विशेष पास :–

* रेल कर्मचारी, उसके परिवार के सदस्य या आश्रित सदस्यों को मेडीकल ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड, बाल शिविर, स्काउट शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रेल प्रशासन द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु।

8. परिवार की परिभाषा :–

पास नियमों के अन्तर्गत 'परिवार' में निम्नलिखित शामिल हैं -

A रेल सेवक पति/पत्नि, चाहे कमाते हो या नहीं

B रेल सेवक के पुत्र/पुत्री जो 21 वर्ष की उम्र के नहीं हुए हैं तथा वे रेल सेवक पर पूर्णतः आश्रित है।

पुत्र/पुत्रों को जिन्होंने 21 वर्ष की आयु पूरी की हो :–

A वे किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था के नियमित विद्यार्थी हो।

B किसी अनुसंधान कार्य में लगे हों तथा कोई छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हों।

C किसी मानक लेखाकार के अधीन आर्टिकल्ड क्लर्क के रूप में कार्यरत हो

D रेलवे डॉक्टर द्वारा जारी निर्दिष्ट प्रमाण प्रत्र के अनुसार अशक्त हो

आश्रित पुत्रियाँ :-

अ) किसी भी उम्र की अविवाहित पुत्री/पुत्रियों चाहे वह कमाती हो या नहीं।

ब) विधवा पुत्रियाँ जो कि रेल कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों।

स) कानूनी रूप से तलाक शुदा पुत्रियाँ जो कि रेल कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों।

12. आश्रित की परिभाषा :-

पास नियम के अंतर्गत 'आश्रित' (रेल कर्मचारी जिसके पिता की मृत्यु हुई है) में निम्नलिखित शामिल हैं।

* विधवा माता
* अविवाहित / विधवा / कानूनी रूप से तलाकशुदा बहन।
* भाई जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो तथा रेल सेवक के साथ रहता हो तथा पूर्णतः उस पर आश्रित हो।
* किसी भी उम्र का अशक्त भाई।
* भाई जिसने 21 वर्ष की उम्र पार की हो जो किसी पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान का विद्यार्थी हो।

* विधवा सास - जब विधवा अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्त हुई हैं ।

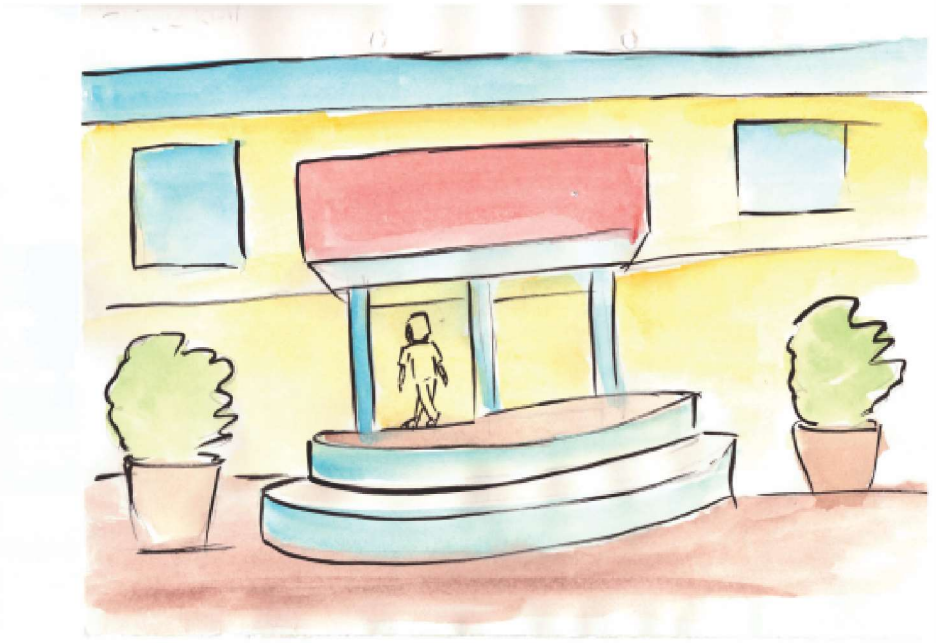

रेलवे आवास

1. रेलवे में कार्यरत सभी कर्मचारी रेलवे आवास लेने के अधिकार रखते है।
2. रेलवे आवास को आवंटित करने व सुविधाजनक बनाने के लिए पूलो में बाटा गया है।
3. प्रत्येक इच्छुक कर्मचारी जिन्हें रेलवे आवास की आवश्यकता है वे अपना आवेदन अपने कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

4. प्रत्येक आवेदन पत्र पर विचार करने हेतु प्रत्येक पुल का अपना Housing Committee होता है जिस पर नियमानुसार निर्णय सर्वसम्मती से लिया जाता है व वह निर्णय अंतिम निर्णय होता है।

5. मैट्रिक्स लेवल के अनुसार आवासों को अलग-अलग श्रेणियों में बाटा गया है जो निम्नानुसार है :-

				राजपत्रित		
मैट्रिक्स लेवल-I	मैट्रिक्स लेवल II से VI	मैट्रिक्स लेवल-V & VI से	मैट्रिक्स लेवल-VII & VIII से	मैट्रिक्स लेवल-IX	मैट्रिक्स लेवल-X	मैट्रिक्स लेवल-XI से XVII
टाईप-I	टाईप-II	टाईप-III	टाईप-IV	टाईप-IV	टाईप-IV स्पेशल	टाईप-V

6. पश्चिम रेलवे के PS No. 41/2016 दिनांक 11.05.2016 के अनुसार यदि टाईप-II के पात्र कर्मचारी प्रतिक्षा सूची में न हो तो उस स्थिति में टाईप-I के पात्र कर्मचारियों को आवंटित किया जा सकता है।

7. आवास परिवर्तन (Change Over) आवेदन पत्र को पहले प्राथमिकता दी जायेगी स्वच्छ आवंटन (Fresh Allotment) के सापेक्ष।

8. आवास परिर्वतन (Change Over) पंजीकरण के अनुसार किया जाता है।

9. आवास परिवर्तन (Change Over) समान टाईप के आवासों से किया जाता है।

10.आवास परिवर्तन (Change Over) हेतु किसी खास रेलवे आवास के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

11.आपसी आवास परिवर्तन (Mutual Quarter Exchange) हमेशा समान आवासों के साथ किया जाता है।

12.विकलांग कोटे के अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उस कर्मचारी को Out of Turn के आधार पर रेलवे आवास आवंटित किया जा सकता है।

13.अस्थायी तौर पर Out of turn उन कर्मचारियों का भी रेलवे आवास दिये जा सकते हैं जो निम्न बीमारियों से ग्रसित है जैसे :- Heart ailment, T.B., Cancer.

14.10% रेलवे आवासों में SC/ST का आरक्षण है यदि आवासें की संख्या 50 या अधिक है।

15.रेलवे आवास को दो कोटियों में बाटा गया है 1. Essential. 2. Non-essential.

16.विद्यालय / कॉलेज के शैक्षणिक सत्र के मध्य के दौरान स्थानांतरण की स्थिति में रेलवे आवास को रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमती ली जा सकती है। किंतु इसके लिये संबंधित स्कूल से आवश्यक प्रमाण पत्र सुपुर्द करना होगा।

17. सेवा निवृत्त / अधिवार्षिता पर गये कर्मचारी रेलवे आवास को 04 माह सामान्य दर पर एवं 04 माह मेडिकल या शैक्षणिक आधार पर रोक सकते हैं ।

18. मृतक कर्मचारी की विधवा पत्नी को 02 वर्ष सामान्य दर पर आवास रोकने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

19. रेलवे आवास में लगने वाले पानी चार्ज निम्नवत है :-

	टाईप - I	टाईप - II	टाईप - III	टाईप - IV
पानी चार्ज	5	15	25	35

20. रेलवे आवास के आवासो का किराया उनके आवास के क्षेत्रफल के अनुसार कटौती किया जाता है।

कर्मचारी हित निधि (SBF)

भूमिका :– वर्ष 1931 से रेलवे में कर्मचारी हित निधि समितियाँ गठित की गई हैं शिक्षा, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, स्काउट एवं खेलकूद के अतिरिक्त उपचार की देशी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। जिसमें निधि जुर्मानों से प्राप्त सभी रकमें, जब्त भविष्य निधि व बोनस की राशि के अलावा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को रेलवे राजस्व से प्राप्त वार्षिक अनुदान राशि जो प्रति व्यक्ति रू. 800/- की दर से समूह ग व घ कर्मचारियों की 31 मार्च को विद्यमान स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होती है। मंडल स्तर पर मुख्य कल्याण निरीक्षक इसके सचिव तथा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अध्यक्ष होते हैं एवं मुख्यालय स्तर पर

कार्मिक अधिकारी (कल्याण) सचिव तथा मुख्य कार्मिक अधिकारी अध्यक्ष होता है। इससे निम्न लाभ प्रदान किये जाते हैं :-

1. तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति

1500/- प्रतिमाह	✻ ग्रेड पे 2400/- से ऊपर वेतन श्रेणी के सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए उच्च तकनीकी / व्यवसायिक शिक्षा के लिए प्रथम प्रयास में पास करने पर देय है। ✻ ग्रेड पे 2400/- या इसके नीचे वेतन श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए तकनीकी / व्यवसायिक शिक्षा में डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त करने की छात्रवृति।

2. दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति :

✻ दिव्यांग एवं मानसिक रोगी बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेन्ट करने हेतु पाठयक्रम के लिए रूपए 2000/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय है फॉर्म के साथ शिक्षा की पावती आवश्यक है।

✻ पूर्णतः दिव्यांग बच्चे जो किसी तरह की शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं ऐसे स्थाई विकलांग बच्चों के लिए रूपये 1000/- प्रतिमाह अनुग्रह राशि मिलती है। फार्म के साथ

चिकित्सा का प्रमाण पत्र एवं डॉक्टर रिपोर्ट आवश्यक है।

3. कृत्रिम दांत लगवाने की प्रतिपूर्ति

- आधा सेट अर्थात् दो या अधिक दांत लगवाने के लिये रूपये 5000/- तथा पूरा सेट लगवाने के लिए रू. 10000/- की राशि मिलती है।
- पूरे सेवाकाल में एक बार पूरा सेट लगवाने हेतु तथा दो आधे सेट लगवाने हेतु।
- फॉर्म - एफ के साथ रेलवे डॉक्टर की सिफारिश, डॉक्टर रिपोर्ट तथा मूल पावती संलग्न करनी होगी।

4. मेंटेनन्स ग्रांट :

- कर्मचारी को कैन्सर, एचआईवी, थेलेसेमिया, सिकलसेल, लकवा, किडनी फेल्युर तथा अन्य बीमारियों के लिए रूपये 10000/- प्रतिमाह अनुदान राशि मिलती है। फार्म - जी के साथ रेलवे डॉक्टर का सिफारिश पत्र तथा छुट्टी बकाया नहीं होने पर, एक वर्ष की सेवा से अधिक की सेवा होनी चाहिए।
- **कर्मचारी के लापता** होने पर उससे आश्रितों /पत्नि को FIR दर्ज कराने की तिथि से एक वर्ष या उससे मिलने तक अथवा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने तक जो भी पहले हो रू. 10000/- प्रतिमाह देय है।

5. शिक्षा अनुदान : रेल कर्मचारी की अचानक मृत्यु की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति मिलने तक उसकी विधवा द्वारा आवेदन

करने पर रूपये 18000/- प्रतिवर्ष प्रति बच्चा अधिकतम दो बच्चों के लिए पहली कक्षा से 12 वीं कक्षा या 18 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो शिक्षा अनुदान मिलता है। फॉर्म के साथ स्कूल का बोनाफाईड प्रमाणपत्र संलग्न करना है।

6. कर्मचारी शिविर :

- कर्मचारी पूरे सेवाकाल में एक बार इसका लाभ ले सकता है शिविर शुल्क कर्मचारी को देना है स्वयं का पास एवं छुट्टी भी लेनी होती है जो अधिवर्षिता की आयु के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगह लगाया जाता है।
- समूह घ श्रेणी (1800 ग्रेड पे) कर्मचारियों के लिए पृथक से शिविर का आयोजन किया जाता है जिसके तहत विदेश भ्रमण भी शामिल है।

7. बाल शिविर : कर्मचारी के सेवाकाल में एक बार में एक बच्चे के लिये जिसकी उम्र 11 से 14 वर्ष होगी उसे शिविर का लाभ होगा शिविर शुल्क कर्मचारी को देना है जो उनके वेतन ग्रेड पर आधारित होगा। जिसके लिए पास रेलवे द्वारा प्रदान किया जाता है।

8. शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए यंत्र :

(पाँच साल में एक बार देय है)

रू. 20,000/-	कैलिपर हेतु
रू. 10,000/-	श्रवण यंत्र
रू. 10,000/-	व्हीलचेयर

✻ उपरोक्त राशि या यंत्र की वास्तविक लागत में से जो भी कम हो देय है

9. कर्मचारियों एवं आश्रितों की गम्भीर बीमारी के लिए

वित्तीय सहायता एक मुश्त एक बार देय है

राशि	
रू. 50000/-	लीवर किडनी के प्रत्यारोपण हेतु
रू. 75000/- रू. 50000/-	ग्रुप डी के ग्रुप सी के | कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित हेतु
रू. 30000/-	कैंसर/गुर्दा फेल होने पर/एड्स/गंभीर थइलीसीमिया, लिवर, सिरोसिस, पारकिन्सन्स के लिए
रू. 50000/-	अंग दानकर्ता
रू. 20000/-	क्षय रोग (एम.डी.आर./एक्स.डी.आर.) / ओपन हार्ट सर्जरी / लकवा के लिए
रू. 10000/-	बाई पास सर्जरी
रू. 5000/- से रू. 10000/-	अर्ध/पूर्ण दाँतों का दंतावली लगवाने पर
रू. 2500/- प्रति माह	डाईपर (कमजोर बाउस और ब्लैडर कंट्रोल वाले बेड पर पडे कर्मचारी / औलाद/आश्रित)

10. अंग विच्छेदन :

राशि	बीमारी / कारण
रू. 10000/-	एक पैर / एक हथेली
रू. 15000/-	एक पैर घुटने के नीचे/एक हाथ कोहनी के नीचे
रू. 20000/-	दोनों पैर / दोनों हथेली
रू. 25000/-	एक पैर के घुटने के ऊपर/एक हाथ की कोहनी के ऊपर
रू. 30000/-	एक पैर के घुटने के ऊपर/एक हाथ की कोहनी के नीचे
रू. 50000/-	दोनों पैर के घुटने के ऊपर/दोनों हाथ की कोहनी के उपर

11. दाह संस्कार हेतु सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर रू. 10000/- की सहायता मृतक के परिवार को प्रदान की जाती है

उपरोक्त सुविधाओं के अलावा समाचार पत्र/पत्रिका का अनुदान शैक्षणिक स्तर पर विशेष उपलब्धियों के लिए नकद पुरस्कार योजना, स्वास्थ्य सुधार हेतु स्वास्थ्य लाभ गृह पाली हिल बांद्रा में उपलब्ध है होली डे होम, पाली हिल, उज्जैन एवं वेरावल में किफायती दरों में बुक किये जाते है, इसके अलावा इलाज की देशी पद्धतियों के तहत आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी संचालित की जा रही है। इसके अलावा रेल कर्मचारियों के शिक्षा ग्रहण

करने वाले बच्चों को छात्रावास की सुविधा पश्चिम रेलवे के आणंद, इन्दौर, अहमदाबाद एवं माटुंगा में उपलब्ध है।

12. महिला सशक्तिकरण अभियान :

- जिन कर्मचारी की केवल दो पुत्रियां है तथा दूसरी पुत्री के पैदा होने के एक साल में (परिवार नियोजन का आपरेशन किया हो और प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो) रुपये 25000/- की नेशनल सेव्हींग सर्टिफिकेट दोनो पुत्रियों के नाम से जमा की जाएगी।
- जिन कर्मचारियों की कोई संतान नहीं हो उसके द्वारा अनाथ लड़की को दत्तक ग्रहण करने पर लड़की के लिए 50000 की एफडी रखी जाएगी।
- आई.वी.एम. इलाज निसंतान महिला कर्मचारी या पुरूष कर्मचारी की पत्नी हेतु रूपये 50000/- प्रदान किया जाता है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।
- महिलाओं हेतु आमोद प्रमोद के लिए प्रथक से शिविर का आयोजन किया जाता है।

आपातकालीन स्थितियों में कैशलेस उपचार योजना

CASHLESS TREATMENT SCHEME IN EMERGENCY SITUTATIONS (CTSE)

रेलवे बोर्ड ने पत्र सं. 2014/H/28/1smart card/Part A दिनांक 14.07. 2016 द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उसके परिवार के लिये आपातकालीन स्थितियों में कैशलेस उपचार योजना आरंभ की गयी है।

इस योजना को अखिल भारतीय आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिवार के लिये लागू किया गया है। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी भी स्थान सेवा निवृत्त हुआ हो, किसी भी स्थान पर निवासरत हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हों एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होने पर वह बिना किसी स्थानीय रेलवे चिकित्सा अधिकारियों के औपचारिक रेफर के रेलवे द्वारा अनुबंधित किसी भी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते है।

इस योजना में सेवा निवृत्त कर्मचारी को M/S UTITSL की वेबसाईट http;//www/railctse.utiitsl.com/ पर ऑनलाईन आवेदन करना होता है तथा आवेदन की हार्डकॉपी एवं निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर अपने सेवानिवृत्त मंडल के स्थापना विभाग को भेजना होता है। स्थापना विभाग, चिकित्सा विभाग एवं लेखा विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया (आवेदन सत्यापित) पूर्ण करने के पश्चात स्थापना विभाग द्वारा आवेदन लॉनलाईन M/S UTITSL को अग्रेषित किया जाता है तथा M/S UTITSL द्वारा कार्ड तैयार कर संबंधित कर्मचारी को डाक द्वारा भेज दिया जाता है।

अनुकंपा नियुक्ति

निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है :–

- रेल कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर।
- कर्मचारी की(ड्यूटी पर) कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
- रेल दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
- लापता घोषित होने पर (पुलिस एफआईआर के दर्ज होने के बाद कर्मचारी के नहीं मिलने पर) कम से कम दो वर्ष बीत जाने पर ही विचार किया जा सकता है।

- रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा के सभी श्रेणियों में आयोग्य (अक्षम) घोषित होने पर कर्मचारी द्वारा चिकित्सीय आधार पर सेवा निवृत्ति लेने पर।
- ऐसे रेल कर्मचारी जिन्हें आंशिक रूप से चिकित्सा विकोटिकृत किया जाता है तथा पांच वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिये। केवल ग्रुप डी में नियुक्ति होगी।

पातत्रा : कर्मचारी का पुत्र / पुत्री / विधवा / विधुर / कानूनी रूप से वैध दतक पुत्र / पुत्री कर्मचारी पर आश्रित विवाहित / तलाकशुदा पुत्री जो कि कर्मचारी के परिवार का भरणपोषण करेंगे, को नियमानुसार सभी शर्तों को पूरा करने पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी।

गोल्ड प्लेटेड
सिल्वर मेडल
पेंशन
पेंशन का कम्प्यूटेशन
सेवा निवृत्ति उपादान
छुट्टी वेतन
भविष्य
निधि
कर्मचारी
समूह
बीमा
संयुक्त
स्थानांतरण
भत्ता
वार्षिक पास
आर. ई. एच. एस. कार्ड
(मेडिकल कार्ड)
स्मार्ट कार्ड (P.V.C.)
नि:शुल्क चिकित्सा सेवा

सेवानिवृत्ति के समय

पेंशन : 10 वर्ष की सेवा पर्ण करने पर आयु सीमा में सेवा निवृत्ति होने वाले सभी रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन एवं महंगाई भत्ता देय है।

पेंशन का कम्युटेशन : 40 प्रतिशत तक पेंशन को कम्यूट किया जा सकता है । उक्त राशि कर्मचारी को एक मुश्त राशि मिलती है । सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष पश्चात कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त होगी।

सेवा निवृत्ति उपदान (Gratuity) :– रेल कर्मचारी को पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर मिलती है। यह राशि प्रत्येक आधे वर्ष पर 1/4 माह के वेतन के अनुसार मिलती है। अधिकतम 16.5 माह का वेतन या रूपये 20,000,00/- जो भी कम हो।

छुट्टी वेतन : अधिकतम 300 दिन का औसत वेतन अवकाश अंतिम मूल वेतन, देय महंगाई भत्ता के आधार पर मिलता है। यदि कर्मचारी के खाते में 300 दिन से कम एलएपी है तो उतनी ही एचएलएपी को जोड़कर आधे दिन के हिसाब से अवकाश का भुगतान किया जाता है।

भविष्य निधि : 01.01.2004 से पहले नियुक्त रेल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि को उसके भविष्य निधि खाते में कुल जमा राशि तथा उस पर प्रचलित दरों से ब्याज मिलता है।

कर्मचारी समूह बीमा : सामूहिक बीमा कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय समूह बीमा की प्रचलित टेबल के अनुसार दिया जाता है।

संयुक्त स्थानांतरण भत्ता : रेल कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना घरेलु सामान अपने मुख्यालय से 20 किमी से अधिक की दूरी पर ले जाने हेतु मिलता है जो दिनांक 1-7-2017 से अंतिम वेतन

का 80 प्रतिशत दिया जाता है।

मानार्थ पास : रेल कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय 20 वर्ष या उससे अधिक की रेल सेवा होने पर दो सेट मानार्थ पास प्रतिवर्ष मिलते है।

आर.ई.एस.एस.कार्ड (Medical Card) : रेल कर्मचारी को सेवानिवृत्ति होने पर चिकित्सा सुविधा हेतु स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के विवरण के साथ मेडिकल कार्ड मिलता है। इसके लिए निपटारा राशि में से लेवल के हिसाब से राशि का कटौत्रा किया जाता है जो 01.01.2016 से प्रभावशील है।

क्र.म.	लेवल	राशि
1	01 से 05	रू. 30000/-
2	06	रू. 54000/-
3	07 से 11	रू. 78000/-

स्मार्ट कार्ड (PVC) : पहचान एवं चिकित्सा कार्ड सेवा निवृत्ति वाले कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है।

नियत चिकित्सा भत्ता : जो सेवानिवृत्त कर्मचारी निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र से 2.5 कि.मी. से अधिक की दूरी पर रहते हैं और बाह्य रूग्ण ओपीडी का लाभ नहीं लेना चाहते है उन्हें पेंशन में रूपये 1000/- प्रतिमाह निर्धारित चिकित्सा भत्ता मिलता है।

गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल : सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है।

नोट :– ये पॉकेट बुक वर्तमान उपलब्ध नियमों के आधार पर तैयार की गई है।

विशेष सहयोग

अनीता प्रसाद

एस.एस. भाटी

ए.एम. कुरैशी

बी.आर. मीणा

चन्द्रप्रकाश पाण्डेय

पल्लवी मीणा

दीपक कुमार

: कार्टूनिस्ट :

श्री आशीष शर्मा

कार्टूनिस्ट, आर्टिस्ट (बांसवाड़ा, राजस्थान)

मो. 8290796447

ई-मेल : ashishart1981@gmail.com

रतलाम जं.
पश्चिम रेलवे
WESTERN RAILWAY
RATLAM JN.

हेरिटेज ट्रेन
पाताल पानी से
कालाकुण्ड तक